राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-8) विभाग

क्रमांक/एफ1(4)(राज/8/83 दिनांक- 6.10.83

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न उपबन्ध में परिनिश्चित क्षेत्र को उसमें पाये जाने वाले वन्य जीवों के संरक्षण, प्रचारण एवं उनके विकास पर्यावरण के प्रयोजनार्थ उसके पारिस्थितिक प्राणी जातीय वनस्पति, भू-संरचना तथा प्राणी विज्ञान सम्बन्धी सहयोजना और महत्व के कारण वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में गठित करने की आवश्यकता है।

अतः वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 (1972 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) की धारा 18(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त क्षेत्र से एक अभ्यारण्य जिसे "वन्य जीव अभ्यारण्य फुलवाड़ी" के नाम से उद्घोषित किया जावेगा, के रूप में गठित करने का अपने आशय का इसके द्वारा घोषणा करती है।

अनुसूचि

क्र.सं.	क्षेत्र नाम	तहसील	जिला	सीमाएं		वि०वि०
1.	व० जी० अभ्यारण्य फुलवाड़ी	कोटड़ा एवं झाडोल	उदयपुर	उत्तर-	वन खण्ड ढेढमा, रिछा की उत्तरी वनखण्ड रामकुण्डा की पश्चिमी एवं वनखण्ड हरवा की उत्तरी सीमा रेखाएं	
				पूर्व-	वन खण्ड हरवा, देवली, धाराका एवं डेबन की पूर्वी सीमा रेखाएं।	
				दक्षिण-	वनखण्ड डेधा, अम्बावा, आबाखड्डा एवं मामेर की दक्षिणी सीमा रेखाएं।	
				पश्चिमी-	वनखण्ड मामेर, उमरिया फुलवाड़ी देवली एवं ढेढमारिया की पश्चिमी रेखाएं।	

राज्यपाल की आज्ञा से
ह०
(आनन्द मोहन लाल)
राजस्व सचिव